तारिख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स

F.S.S.Act Case No. 12/2025

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

17.03.2025

पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (उपेन्द्र पाण्डे पुत्र जगन्नाथ जी, रसोई मैनेजर, मैसर्स होटल आबू इन्टरनेशनल (माया पैलेस), गुरुद्वारा के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (चन्द्र प्रकाश, Responsible Person, मैसर्स होटल आबू इन्टरनेशनल (माया पैलेस), गुरुद्वारा के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही) अनुपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.7.2024 को मैसर्स होटल आबू इन्टरनेशनल (माया पैलेस), गुरुद्वारा के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी उपेन्द्र पाण्डे पुत्र जगन्नाथ जी, रसोई मैनेजर, मैसर्स होटल आबू इन्टरनेशनल (माया पैलेस), गुरुद्वारा के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2367 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1072/Act/2024/1120 दिनांक 25.7.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2025 को प्रतिवादी उपेन्द्र पाण्डे व चन्द्रप्रकाश ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति का संयुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादीगण को दिनांक 12.3.2025 को ही सुना गया। जिन्होनें यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण, उक्त होटल के मालिक नही है एवं होटल में नौकरी करते है। होटल में आम जन के खाद्य सामग्री निर्माण हेतु उपयोग के लिये बाजार से पैकिंग अवस्था में पनीर को खरीद कर लाते है, जिसमें उनके द्वारा कोई मिलावट नही की गई है। यह उनका प्रथम अपराध है। अतः प्रकरण में कम जुर्माना करके निस्तारण करावे।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.7.2024 को समय 11.30 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स होटल आबू इन्टरनेशनल (माया पैलेस), गुरुद्वारा के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर रसोई मैनेजर की हैसियत से प्रतिवादी उपेन्द्र पाण्डे पुत्र जगन्नाथ जी उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा मैसर्स होटल आबू इन्टरनेशनल (माया पैलेस), गुरुद्वारा के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान निर्माण सामग्री स्थल पर आम जन के लिये

.......लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स** **F.S.S.Act Case No. 12/2025**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

खाद्य सामग्री निर्माण हेतु 5 किलोग्राम पनीर रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर प्रतिवादी रसोई मैनेजर उपेन्द्र पाण्डे को गवाह श्री मनीषपाल, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल के अन्दर खाद्य सामग्री निर्माण स्थल पर रखे हुए 5 किलोग्राम पनीर में से 01 (एक) किलोग्राम पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 310/– (अक्षरे रुपये तीन सौ दस मात्र) प्रतिवादी रसोई मैनेजर उपेन्द्र पाण्डे को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2367, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर का नाम आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी मैनेजर उपेन्द्र पाण्डे व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने प्रतिवादी रसोई मैनेजर उपेन्द्र पाण्डे व गवाह को चार साफ, सूखी, प्लास्टिक की खाली शीशीयों को दिखाकर खरीदशुदा पनीर को चारों शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर चारों शीशीयों को अलग अलग ढ्क्कन से एटयटाईट बन्द किया एवं चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-2367 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी रसोई मैनेजर व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी उपेन्द्र पाण्डे व गवाह एवं श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री विश्वजीत, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा दिनांक 16.7.2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा

........लगातार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स **F.S.S.Act Case No. 12/2025**

करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का शील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स होटल आबु इन्टरनेशनल (माया पैलेस), गुरुद्वारा के पास, माउन्ट आबू में प्रतिवादी उपेन्द्र पाण्डे से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2367 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./1072/Act/2024/1120 दिनांक 25.7.2024 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-2367 अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि मैसर्स होटल आबु इन्टरनेशनल (माया पैलेस), गुरुद्वारा के पास, माउन्ट आबू में प्रतिवादी रसोई मैनेजर उपेन्द्र पाण्डे द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर के विक्रय हेतु प्रतिवादी मैसर्स होटल आबु इन्टरनेशनल (माया पैलेस), गुरुद्वारा के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। मैसर्स होटल आबु इन्टरनेशनल (माया पैलेस), गुरुद्वारा के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि जमा करवाने हेतु मैसर्स होटल आबु इन्टरनेशनल (माया पैलेस), गुरुद्वारा के पास, माउन्ट आबू के Responsible Person, प्रतिवादी संख्या 2 (चन्द्रप्रकाश) उत्तरदायी होंगे। प्रतिवादी संख्या 2 (चन्द्रप्रकाश) को आदेशित किया जाता है कि मैसर्स होटल आबु इन्टरनेशल (माया पैलेस) पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी चन्द्रप्रकाश को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 22.4.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट

सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)